न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 27/2025 दायर दिनाँक 16.01.2025

वादीगण

1. बंशी सिंह पुत्र स्व0 भंवर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खाटुखुर्द तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मनोज सिंह पुत्र स्व0 ओम सिंह
2. परमेश्वरी कंवर पत्नी स्व0 ओम सिंह
3. सुरज कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह
4. करण सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह(प्रतिवादी सं. 4 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुरज कंवर प्रतिवादी सं. 3)
5. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विजय सिंह
6. विक्रम सिंह पुत्र स्व0 विजय सिंह
7. छगन कंवर पत्नी स्व0 विजय सिंह
8. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कालुसिंह
9. भंवरी कंवर पत्नी स्व0 कालुसिंह
10. सुमन कंवर.पुत्री स्व0 कालुसिंह
11. ममता कंवर पुत्री स्व0 कालुसिंह
12. मुन्नी कंवर पुत्री स्व0 कालुसिंह
13. संतोष कंवर पुत्री स्व0 कालुसिंह
14. किशोर सिंह पुत्र स्व0 भंवर सिंह
15. फतेह सिंह पुत्र स्व0 भंवर सिंह
16. ज्ञानी पुत्री स्व0 भंवर सिंह
17. शिरू कंवर पुत्री स्व0 भंवर सिंह
    समस्त जाति दरोगा निवासीगण खाटुखुर्द तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज0।
18. चैन सिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी कोतियाड़ा
19. मो0 इकबाल पुत्र लाडू खां जाति शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज0।
20. तहसीलदार महोदय, छोटीखाटू।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 88,188 R.T.Act. 136 L.R.Act.

उपस्थित:–

1. श्री कमल मोठ वकील वादी।
2. श्री विकास सैनी वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 19

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.05.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, मौजा खाटुखुर्द पटवार हल्का खाटुखुर्द भू.अ.नि. खाटुखुर्द तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा संख्या 516 रकबा 3.9100 है. वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 19 के संयुक्त खातेदारीसु[illegible] है।

उक्त खसरा नं. की खातेदारी केस[illegible] प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 की माता/दादी/दादे सास है। [illegible] के पुत्र पाबुसिंह व उसके वारिसानों ने उपरोक्त [illegible]. की भूमि में से [illegible] हिस्से की भूमि का बैचाण पूर्व में ही प्रतिवादी सं0 18 व 19 को किया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का नाम राज[illegible] में दर्ज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

खेत खसरा नं. 516 रकबा 3.9100 है0 बारानी उत्तम वाके सरहद खाटुखुर्द में खातेदार केसर जो वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 माता/दादी/दादे सास है, जिनके नाम से राजस्व रेकर्ड में 1/4 भाग भूमि दर्ज हो रखी है। तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के द्वारा पिता/दादा द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से की 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि बैचाण करने के कारण अब खसरा सं0 516 की भूमि में खातेदार केसर के नाम से दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहने के कारण खातेदार केसर की सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 17 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

मौजा खाटुखुर्द के खेत खसरा सं. 516 रकबा 3.9100 है0 बारानी उत्तम भूमि में खातेदार केसर के स्थान पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 17 के 1/4 भाग भूमि की खातेदारी अलग से दर्ज की जावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त खसरा नं0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का नाम केसर के विधिक वारिसान होने के कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बाद हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बाद हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दर्ज किया जावें। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि उक्त खसरा भूमि में वाके सरहद खाटुखुर्द में खातेदार केसर के बंट व हिस्से की 1/4 भाग भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, बैचाण, हस्तान्तरण, निर्माण, गिरवीनामा आदि न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 की ओर से अधिवक्ता विकास सैनी ने इकबालिया जवाब एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से राजीनामा पेश हुआ।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी खेत खसरा सं. 516 रकबा 3.9100 है0 भूमि के 1/4 हिस्से की खातेदारी केसर के स्थान पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 17 के नाम करवाना चाहा है। जिससे पक्षकारान सहमत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा खाटुखुर्द के खेत खसरा सं. 516 रकबा 3.9100 है0 बारानी उत्तम भूमि में खातेदार केसर के हक हिस्से की भूमि में केसर के स्थान पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 17 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक 14.0... 25 ... खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:58:52 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner